ARREST-BAIL

1. What is the information which police is bound to give to the person being arrested.

Ans. At the time of arrest, the police must inform the arrested person of the reasons of his arrest. He must be forthwith informed the full particulars of the offence for which he is arrested or other grounds for such arrest. When a person is arrested for a bailable offence he shall be informed that he is entitled to be released on bail. The police is also bound to give the information of his arrest to any of his friends, relatives etc.

2. What are the provisions regarding handcuffing.

Ans. No person arrested is to be handcuffed unless there is clear danger of escape or violence. Even such a person can be handcuffed only till he is produced before a Magistrate. Thereafter, handcuffs can be applied only with permission of the Magistrate.

3. When any person is arrested and detained in custody and it appears that investigation cannot be completed within 24 hours, what steps have to be taken by the police?

Ans. Arrested person must be produced before a Magistrate within 24 hours of his arrest.

4. Whether the Police is bound to give information about the arrest of person to his relatives or friends or neighbors.

Ans. The Police is bound to give information about the arrest and place where the arrested person is being held to any of his friends, relatives or such other persons as may be disclosed or nominated by the arrested person for the purpose of giving such information.

5. Whether female can be arrested between sunsets and sunrise except with the permission of concerned Judicial Magistrate?

No female can be arrested between sunset and sunrise except with the permission of the concerned Judicial Magistrate.

6. What are the provision regarding Medical Examination of arrested person?

Ans. 1. At the time of arrest the police must examine the body of arrested person for any sign of grievous or simple injuries and should record said injuries in the memo.

गिरफ्तारी–जमानत

प्रश्न गिरफ्तारी के समय गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को पुलिस द्वारा क्या सूचना दी जानी आवश्यक है ?

उत्तर गिरफ्तारी के समय पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचना दें एवं उसके तुरंत गिरफ्तार किए गए जुर्म की बाबत पुर्ण सूचना व गिरफ्तारी के कारण बताएं। यदि व्यक्ति जमानती अपराध में गिरफ्तार किया गया है तो उसे जमानत पर छोड़ने बारे बताए। इसके साथ–साथ पुलिस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मित्रों व स्वय संबंधित को भी सूचना देने के लिए बाध्य है।

प्रश्न हथकड़ी लगाने के क्या–क्या प्रावधान है ?

उत्तर किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को तब तक हथकड़ी न लगाई जाए जब तक उसके द्वारा भागने का एवं हिंसक होने का स्पश्ट खतरा ना हो। ऐसा व्यक्ति जब तक उसे मैजिस्ट्रेट के समुख उपस्थित किया जावे उसे हथकड़ी में रखा जा सकता है, तत्प चात हथकड़ी केवल मैजिस्ट्रेट की अनुमति से ही लगाई रखी जा सकती है।

प्रश्न जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में रखा गया हो और जांच 24 घंटे के अंदर पूर्ण ना हो सकती होव ऐसा प्रतीत हो कि जांच 24 घंटे में पूरी नहीं होगी तब पुलिस को क्या–क्या कदम उठाने चाहिए ?

उत्तर गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के समुख प्रस्तुत किया जाए।

प्रश्न क्या पुलिस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मित्रों या सगेसंबंधियों या पड़ोसियों को सूचना देने के लिए बाध्य है ?

उत्तर पुलिस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी के स्थान एवं जहां उसे रखा गया है कि सूचना देने बारे उसके मित्रों, रिश्तेदार या ऐसे व्यक्तियों जिनका नाम गिरफ्तार व्यक्ति ने बताया हो या गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा नामित किए गए हो, को भी सूचना देने के लिए बाध्य है।

प्रश्न क्या महिला सूर्यास्त होने के पश्चात और सूर्यादय होने से पहले, संबंधित न्यायिक मैजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना गिरफ्तार की जा सकती है ?

उत्तर कोई महिला सूर्यअस्त होने के पश्चात और सूर्य उदय होने से पूर्व संबंधित न्यायिक मैजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं की जा सकती है।

प्रश्न गिरफ्तार व्यक्ति के स्वास्थ्य की जांच के क्या–क्या प्रावधान है ?

उत्तर 1 गिरफ्तारी के समय, पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की भाारीरिक जांच अवश्य की जावे और उसके भारीर पर किसी प्रकार के निशान या गंभीर या साधारण चोट के बारे में गिरफ्तारी मैमो में अवश्य अंकित किया जावे।

2. The arrested person must be medically examined after every 48 hours by a registered medical practitioner employed in a hospital run by the Government or by local authority. When a person who is arrested, alleges, that the examination of his body will afford evidence which will disapprove the commission by him of any offence or which will establish commission by any other person of any offence against his body, the Magistrate shall direct the examination of the body of such person by a registered medical practitioner.

7. What are the rights of arrested persons to legal advice?

Ans. During investigation, the arrested person should be given permission to consult an advocate of his choice.

8. Whether the police can use coercive measures during investigation of an accused?

Ans. No, the police cannot use coercive measures during investigation of accused.

9. Whether the personal search of a female during investigation can be made by a male police official.

Ans. No, the personal search of a female during investigation of a case can only be made by a female official.

10. What are the provisions regarding bail when the investigation is not completed within 60/90 days.

Ans. When the investigation of a case is not completed within 60 or 90 days (as the case may be), the accused person shall be released on bail, if he is prepared to and does furnish bail.

11. What are bailable/non-bailable offences and what is the right of the accused for bail in such cases?

Ans. Non-bailable offences are more serious offences and the punishment for such offences is usually imprisonment of more than 3 years. Bailable offences are less serious offences where punishment prescribed is usually imprisonment of 3 years or less. In bailable offences, bail is a right of the accused. However, for non-bailable offences it is the discretion of the Court to admit the accused to bail, for which various circumstances are taken into consideration. These circumstances include gravity of offence, likelihood of the accused absconding and not facing the trial; the role attributed to the accused in the offence in question, the status and position the accused enjoys in the society etc.

2 गिरफ्तार व्यक्ति की आवश्यक रूप से स्वास्थ्य की जांच प्रत्येक 48 घंटे के अंतराल से, किसी सरकारी हस्पताल या स्थानीय निकाय में कार्यरत रजिस्टर्ड स्वास्थ्य अधिकारी से करवाई जाए। जब कोई गिरफ्तार व्यक्ति ऐसा कहे की उसकी भाारीरिक जांच होने से उसको अपराध से निर्दोश होना साबित हो सकता है या किसी अन्य द्वारा अपराध करना सिद्ध हो सकता है तो ऐसी दशा में न्यायिक दंडाधिकारी ऐसे व्यक्ति की भाारीरिक जांच किसी रजिस्टर्ड स्वास्थ्य अधिकारी से करवाने के निर्देश पारित करेगा।

प्रश्न गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी राय प्राप्त करने के क्या–क्या अधिकार है?

उत्तर जांच के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति को अपने चुनिन्दा वकील से राय करने की अनुमति दी जावे।

प्रश्न क्या पुलिस जांच के दौरान दोशी से बलपूर्वक तरीके अपना सकती है?

उत्तर नहीं, पुलिस जांच के दौरान अपराधी के प्रति बलपूर्वक तरीके नहीं अपना सकती।

प्रश्न क्या जांच के दौरान, किसी महिला की व्यक्तिगत तलाशी किसी पुरूश पुलिस अधिकारी द्वारा ली जा सकती है?

उत्तर नहीं, जांच के दौरान, किसी महिला की भाारीरिक तलाशी केवल महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही ली जा सकती है।

प्रश्न यदि जांच 60/90 दिनों के भीतर पूर्ण नहीं होती तो जमानत के क्या प्रावधान है?

उत्तर जब जांच 60/90 दिनों में पूर्ण नहीं होती तो जैसा Cr.P.C. में प्रावधान है। गिरफ्तार व्यक्ति को अवश्य जमानत पर छोड़ा जायेगा, यदि वह जमानत देने हेतु तैयार हो।

प्रश्न जमानती व गैर जमानती अपराध कौन से होते हैं, व उनमें दोषी को जमानत पाने का क्या अधिकार है?

उत्तर गैर जमानती अपराध गम्भीर रुप के होते हैं, जिनमें आमतौर पर सजा तीन साल या तीन साल से ऊपर की होती हैं। जमानती अपराध कम गम्भीर प्रवृति के होते हैं व इनकी सजा कानून में आमतौर पर तीन साल से कम होती हैं। जमानती अपराध में जमानत पाना दोषी का अधिकार है, जबकि गैर जमानती अपराधों में न्यायालय पर निर्भर करता है कि वे मुकद्में के सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दोषी को जमानत दे या नहीं। जो तथ्य, न्यायालय को ध्यान में रखने होते हैं उसमें अपराध की गम्भीरता, दोषी की भागने की सम्भावना दोषी की अपराध में भूमिका, दोषी का समाज में रूतबा वा स्थान, शामिल हैं

12. ***What is the right of an indigent person for being released on personal bonds in bailable offences?***

Ans. Where a person is accused of a bailable offence and he is an indigent person and is unable to furnish surety, then the Court shall, instead of taking bail from such person, discharge him on his executing a bond without sureties for his appearance. The Court shall presume that a person accused of bailable offence is an indigent person, where such person is unable to give bail within a week of the date of his arrest.

13. ***What are the provisions regarding release of persons who have undergone detention for a period extending upto one half of the maximum period of imprisonment specified for that offence.***

Ans. Except offences where capital punishment has been specified as one of the punishments, under trial who has undergone detention for a period extending up to one half of the maximum period of imprisonment specified for that offence under that law, shall be released by the Court on his personal bond with or without sureties.

14. ***What are the provisions for release of person detained for more than the maximum period of imprisonment provided for the said offence?***

Ans. No under trial shall in any case be detained for more than the maximum period of the imprisonment provided for the said offence under that law, and so has to be released from custody.

प्रश्न जमानती अपराध में वो दोषी जो अपनी गरीबी के कारण जमानत देने में अक्षम हैं उसके निजी बांड के आधार पर जमानत पर छुटने का क्या अधिकार है?

उतर जमानती अपराध का दोषी, अगर अपनी गरीबी के कारण अपना जमानती पेश नहीं कर सकता, उन परिस्थितियों में न्यायालय ऐसे व्यक्ति की जमानत लेने की बजाये, उस व्यकित को उसके निजी बांड के आधार पर छोड़ सकती है। इस कार्य के लिए किसी अन्य जमानती की आवश्यकता नहीं होगीं। न्यायालय, जमानती अपराधों में, उस व्यक्ति को गरीब मानेगी, जो गिरफ्तारी के एक सप्ताह के बीच में अपनी जमानत नहीं करवा पाया।

प्रश्न कानून में उन व्यक्तियों के लिए क्या प्रावधान है, जो मुकद्मे के दौरान अपराध के लिये अधिकतम निर्दिष्ट, सजा में से, आधा समय तक बन्द हवालात रहे हो?

उतर ऐसे अपराधों को छोड़कर, जिनमें सजा–ए–मौत का प्रावधान है, बाकि अपराधों में जहाँ अपराधी, अपराध के बाबत निर्दिष्ट सजा में से, आधा समय मुकद्मे के दौरान, बन्द हवालात रहा हो, उस व्यक्ति को न्यायालय उसके निजी बांड के आधार पर, या तो जमानती के साथ या बिना जमानती हवालात से छोड़ेगीं

प्रश्न उस व्यक्ति के बारे में क्या प्रावधान है, जो किए गये अपराध की बाबत निर्दिष्ट सजा से ज्यादा मुकद्मे के दौरान, बन्द हवालात रहा हो?

उतर कोई भी विचाराधीन अपराधी, अपने किये गये अपराध बाबत निर्दिष्ट सजा से ज्यादा समय तक बन्द हवालात नहीं रखा जा सकता व न्यायालय द्वारा तुरंत हवालात से रिहा किया जाएगां